

PND Sachin Vajal

7307 20/11/03  
554 (30/5/03)

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
15000

FIFTEEN  
THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs.  
15000



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

उ.प. इन्दौर-11/11

871330

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

स्टाम्प ड्यूटी / शुल्क	16,200 / -	वि	वार्ड क्रमांक 53
नगर निगम ड्यूटी / शुल्क	3,240 / -	क्र	व्यवहार मूल्य रुपये 3,24,000 / - बाजार मूल्य रुपये 3,24,000 / -
पंचायत ड्यूटी / शुल्क	3,240 / -	य	प्रकोष्ठ क्रमांक 305, अतिशा अपार्टमेन्ट पैकी तृतीय मंजिल
अधिक ड्यूटी / शुल्क	20 / -	प	सेठ जगन्नाथ की चाल
कुल ड्यूटी शुल्क रुपये	22,700 / -	त्र	चितावद इन्दौर (म.प्र.)

श्री द्वेन्द्र शर्मा पिता श्री रमेशचन्द्र जी शर्मा  
निवासी- 10, खातीपुरा (जेलरोड) इन्दौर (म.प्र.)  
तर्फ आम मुखत्यार  
श्रीमती सावित्री पति श्री भवानीशंकरजी खण्डेलवाल  
निवासी- 304, अतिशा अपार्टमेन्ट,  
160-161, सेठ जगन्नाथ की चाल,  
इन्दौर (म.प्र.)

M.V. 5,41,000/-

..... विक्रेतापक्ष

एवं

श्री भवानीशंकर खण्डेलवाल पिता स्व.श्री छाजूराम खण्डेलवाल  
निवासी- 304, अतिशा अपार्टमेन्ट,  
160-161, सेठ जगन्नाथ की चाल  
इन्दौर (म.प्र.)

.....क्रेतापक्ष

(अविरत - 2 पर)

स्वीकृत देवी- खण्डेलवाल

Bhawani Shri Khondelwal







भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

( 3 )

K 153128

2. विक्रेता ने भवन बनाने बाबत, इन्दौर नगर पालिक निगम से अनुमति प्राप्त की होकर अनुमति अनुसार भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया है । भवन का मानचित्र स्वीकृत किया हुआ है । स्वीकृत नक्शा का दाखला क्रमांक 128 दिनांक 29.04.2002 का है ।

बिक्रीत प्रकोष्ठ का विवरण निम्नानुसार है :-

3. यह प्रकोष्ठ क्रमांक 305 जो कि प्लॉट नंबर 160 के भाग क्रमांक 4 एवं प्लॉट नंबर 161/2 के भाग क्रमांक 2, सेठ जगन्नाथ की चाल, चितावद रोड, इन्दौर म.प्र. पर निर्मित बहुमंजिला भवन अतिशा अपार्टमेन्ट पैकी तृतीय मंजिल पर स्थित है । जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 570 वर्गफीट (अर्थात् 52.97 वर्गमीटर) है, जिसका यह विक्रय है । इस प्रकोष्ठ की पार्टीशन वाल, फर्श व छत शामलाती उपयोग की होकर इस विक्रय में छत के अधिकार सम्मिलित नहीं है । उक्त भवन आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है । बिक्रीत प्रकोष्ठ भी आवासीय उपयोग है ।

बिक्रीत प्रकोष्ठ की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-


पूर्व में	:	प्रकोष्ठ क्रमांक 302
पश्चिम में	:	प्रकोष्ठ क्रमांक 304
उत्तर में	:	भवन का कॉमन पैसेज
दक्षिण में	:	भवन का एम.ओ.एस.

(अविरत - 4 पर)

रजिस्ट्री देवी - इन्दौर

Bhawan' Shahu Khondalwar





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

( 4 )

K 153129

4. उपरोक्त विवरण का प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सम्पूर्ण मालकी हक्क, स्वत्व एवं अधिकारो सहित कुल कीमत रूपये 3,24,000/- (अक्षरी रूपये तीन लाख चौबीस हजार मात्र) मे विक्रय कर दिया होकर प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि मूल विक्रेता ने आप क्रेतापक्ष से पूर्व मे सुविधानुसार प्राप्त कर ली है, जिनका मिलना विक्रेतापक्ष को स्वीकार है । इस विक्रय पत्र के पंजीयन के समय श्रीमान उप-पंजीयक कार्यालय इन्दौर के समक्ष कुछ भी एक पैसा तक लेना शेष रहा नहीं है ।

5. विक्रयान्तर्गत उक्त प्रकोष्ठ का मुर्तिमंत आधिपत्य (एकचल पजेशन) मौके पर साक्षीगण के समक्ष क्रेतापक्ष को प्रत्यक्ष रूप से सुपुर्द कर दिया गया है । कब्जा मिलना क्रेतापक्ष स्वीकार करते है ।

6. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष द्वारा क्रेतापक्ष को विक्रय कर दिये जाने से अब क्रेतापक्ष सदर सम्पत्ति के पूर्ण स्वत्वधारी होकर मालिक हो गये है, अब सदर सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग क्रेतापक्ष अपनी स्वेच्छा अनुसार वंश-परंपरा अनुसार करते जाएंगे ।


7. यह कि, सामुहिक उपयोग की जगहों, पार्किंग, सदर भवन में आने-जाने का रास्ता, चढाव, मोटर पम्प के उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेतापक्ष को अन्य प्रकोष्ठ होल्डर्स के साथ रहेगा । क्रेतापक्ष इस हेतु आवश्यक मेन्टेनेन्स शुल्क प्रतिमाह बिल्डिंग सोसायटी को अदा करेंगे ।

(अविरत् - 5 पर)

राजिनी देवी - राजेश कुमार

Bhawani Shree Khoshla





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 153130

( 5 )

8. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ के विक्रयपत्र का पंजीयन विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के हित में कर दिया होने से आज तारीख से क्रेतापक्ष सदर सम्पत्ति के स्वामी बन गये हैं ।
9. यह कि, क्रेतापक्ष को सदर अर्पाटमेन्ट भवन के जमींदोज होने की दशा में सदर सम्पत्ति के एरिया के अनुपात में प्लॉट की भूमि का आनुपातिक हिस्सा पाने का अधिकार भी रहेगा । यह मालकी क्रेतापक्ष व अन्य समस्त ओनर्स की संयुक्त रूप से रहेगी ।
10. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ के सम्बंध में आज दिनांक से लगने वाले समस्त टैक्सेस, व्यय, इलेक्ट्रीक व्यय, मॅन्टेनेन्स सोसायटी को देय डिपॉजिट राशि व मासिक आनुपातिक व्यय, आदि क्रेतापक्ष वहन करेंगे । आज दिनांक से पूर्व लगने वाले व्यय विक्रेतापक्ष वहन करेंगे ।
11. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के सिवाय अन्य किसी को दान, गिरवी, बक्षिस, बिक्री आदि द्वारा अंतरित नहीं की है तथा न ही इस पर किसी के कर्ज, जमानत, मॅन्टेनेन्स, अटेचमेन्ट, डिफ्री आदि का कोई भार है । सदर सम्पत्ति पूर्णतः भाररहित है, फिर भी यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक इत्यादि द्वारा सदर सम्पत्ति पर स्वामित्व बाबद अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे दावेदार का भ्रान विक्रेता विक्रेतापक्ष द्वारा अपने हर्जे खर्चे से मनाया जावेगा इसमें क्रेतापक्ष को कोई नुकसानी नहीं लगने दी जावेगी ।

(अविरत् - 6 पर)

सविनी देवी- २०-३-२००८